

उत्तर प्रदेश शासन
नियुक्ति अनुभाग-9
संख्या-857/दो-9-2018-17(27)/2013
लखनऊ : दिनांक : 06 अप्रैल, 2018

कार्यालय-ज्ञाप

श्री जितेन्द्र कुमार श्रीवास्तव, पी0सी0एस0 को उनके पत्र दिनांक 22.03.2018 एवं जिलाधिकारी इटावा के पत्र दिनांक 08.03.2018 के सन्दर्भ में श्री राज्यपाल सामान्य भविष्य निधि (उत्तर प्रदेश) नियमावली-1985 के नियम-16(1)(ग) (क)सपठित नियम-17 (1)(क) के अधीन पैतृक आवास ग्राम कुम्हारी, सकलडीहा जनपद चंदौली में भवन निर्माण हेतु उनके सामान्य भविष्य निधि खाता संख्या-जी.ए.यू./76063 से रू0-10,00,000/- (रूपये दस लाख मात्र) के अन्तिम निष्कासन की स्वीकृति निम्नलिखित शर्ताधीन प्रदान करते हैं :-

- (1) उक्त स्वीकृति उनके सामान्य भविष्य निधि खाते में जमा धनराशि के 3/4 भाग से अधिक नहीं होगी।
- (2) यदि उक्त अन्तिम निष्कासन से प्राप्त धनराशि का उपयोग कथित प्रयोजन हेतु न किया जा सके अथवा उसका कोई भाग शेष बच जाये तो वह धनराशि खाते में तुरन्त वापस जमा करा दी जाय।
- (3) उक्त अन्तिम निष्कासन उन्हें विशेष दशा में स्वीकृत किया जा रहा है। निष्कासन से प्राप्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र (साक्ष्य सहित) शासन को तीन माह के भीतर अवश्य उपलब्ध कराया जाय।

अनिता श्रीवास्तव
विशेष सचिव।

संख्या-857(1)/दो-9-2018, तददिनांक,

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- पंजीकृत- 1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम, निधि-24, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- पंजीकृत 2- मुख्य कोषाधिकारी, इटावा।
- पंजीकृत 3- जिलाधिकारी, इटावा।
- 4- श्री जितेन्द्र कुमार श्रीवास्तव, पी0सी0एस0, डिप्टी कलेक्टर, चकरनगर, जनपद इटावा।
- 5- नियुक्ति अनुभाग-7/गार्ड बुक की प्रति/कम्प्यूटर प्रकोष्ठ।
- ✓6- कम्प्यूटर प्रोग्रामर, नियुक्ति विभाग को नियुक्ति विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

आज्ञा से,
विश्वनाथ दुबे
(विश्वनाथ दुबे)
अनु सचिव।
2

उत्तर प्रदेश शासन
नियुक्ति अनुभाग-9
संख्या-747/दो-9-2018-17(6)/2007
लखनऊ : दिनांक : 06 अप्रैल, 2018

कार्यालय-ज्ञाप

श्री देवी शरण उपाध्याय, पी0सी0एस0 को उनके पत्र दिनांक 02.02.2018 एवं पत्र दिनांक 12.03.2018 के सन्दर्भ में श्री राज्यपाल सामान्य भविष्य निधि (उत्तर प्रदेश) नियमावली-1985 के नियम-16(1)(ग) (ख) सपठित नियम-17 (1)(क) के अधीन आराजी संख्या-235 मि0 खजांची चौराहा, चरगवां तहसील सदर गोरखपुर पर भवन निर्माण के लिए ली गयी ऋण की अदायगी हेतु उनके सामान्य भविष्य निधि खाता संख्या-जी.ए.यू. /78156 से रू0-5,00,000/- (रूपये पांच लाख मात्र) के अन्तिम निष्कासन की स्वीकृति निम्नलिखित शर्ताधीन प्रदान करते हैं :-


- (1) उक्त स्वीकृति उनके सामान्य भविष्य निधि खाते में जमा धनराशि के 3/4 भाग से अधिक नहीं होगी।
- (2) यदि उक्त अन्तिम निष्कासन से प्राप्त धनराशि का उपयोग कथित प्रयोजन हेतु न किया जा सके अथवा उसका कोई भाग शेष बच जाये तो वह धनराशि खाते में तुरन्त वापस जमा करा दी जाय।
- (3) उक्त अन्तिम निष्कासन उन्हें **विशेष दशा में** स्वीकृत किया जा रहा है। निष्कासन से प्राप्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र (साक्ष्य सहित) शासन को तीन माह के भीतर अवश्य उपलब्ध कराया जाय।

अनिता श्रीवास्तव
विशेष सचिव।

संख्या-747(1)/दो-9-2018, तद्दिनांक,

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- पंजीकृत- 1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम, निधि-24, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
पंजीकृत 2- मुख्य कोषाधिकारी, बांदा।
पंजीकृत 3- आयुक्त चित्रकूट धाम मण्डल बांदा।
4- श्री डी0एस0 उपाध्याय, अपर आयुक्त (प्रशासन) चित्रकूट धाम मण्डल बांदा।
5- नियुक्ति अनुभाग-7/गार्ड बुक की प्रति/कम्प्यूटर प्रकोष्ठ।
6- कम्प्यूटर प्रोग्रामर, नियुक्ति विभाग को नियुक्ति विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

आज्ञा से,

(विश्वनाथ दुबे)
अनु सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन
नियुक्ति अनुभाग-9
संख्या-747/दो-9-2018-17(6)/2007
लखनऊ : दिनांक : 06 अप्रैल, 2018

कार्यालय-ज्ञाप

श्री देवी शरण उपाध्याय, पी0सी0एस0 को उनके पत्र दिनांक 02.02.2018 एवं पत्र दिनांक 12.03.2018 के सन्दर्भ में श्री राज्यपाल सामान्य भविष्य निधि (उत्तर प्रदेश) नियमावली-1985 के नियम-16(1)(ग) (ख) सपठित नियम-17 (1)(क) के अधीन आराजी संख्या-235 मि0 खजांची चौराहा, चरगवां तहसील सदर गोरखपुर पर भवन निर्माण के लिए ली गयी ऋण की अदायगी हेतु उनके सामान्य भविष्य निधि खाता संख्या-जी.ए.यू. /78156 से रू0-5,00,000/- (रूपये पांच लाख मात्र) के अन्तिम निष्कासन की स्वीकृति निम्नलिखित शर्ताधीन प्रदान करते हैं :-


- (1) उक्त स्वीकृति उनके सामान्य भविष्य निधि खाते में जमा धनराशि के 3/4 भाग से अधिक नहीं होगी।
- (2) यदि उक्त अन्तिम निष्कासन से प्राप्त धनराशि का उपयोग कथित प्रयोजन हेतु न किया जा सके अथवा उसका कोई भाग शेष बच जाये तो वह धनराशि खाते में तुरन्त वापस जमा करा दी जाय।
- (3) उक्त अन्तिम निष्कासन उन्हें विशेष दशा में स्वीकृत किया जा रहा है। निष्कासन से प्राप्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र (साक्ष्य सहित) शासन को तीन माह के भीतर अवश्य उपलब्ध कराया जाय।

अनिता श्रीवास्तव
विशेष सचिव।

संख्या-747(1)/दो-9-2018, तद्दिनांक,

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- पंजीकृत- 1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम, निधि-24, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
पंजीकृत 2- मुख्य कोषाधिकारी, बांदा।
पंजीकृत 3- आयुक्त चित्रकूट धाम मण्डल बांदा।
4- श्री डी0एस0 उपाध्याय, अपर आयुक्त (प्रशासन) चित्रकूट धाम मण्डल बांदा।
5- नियुक्ति अनुभाग-7/गार्ड बुक की प्रति/कम्प्यूटर प्रकोष्ठ।
6- कम्प्यूटर प्रोग्रामर, नियुक्ति विभाग को नियुक्ति विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

आज्ञा से,

(विश्वनाथ दुबे)
अनु सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन
नियुक्ति अनुभाग-9
संख्या-857/दो-9-2018-17(27)/2013
लखनऊ : दिनांक : 06 अप्रैल, 2018

कार्यालय-ज्ञाप

श्री जितेन्द्र कुमार श्रीवास्तव, पी0सी0एस0 को उनके पत्र दिनांक 22.03.2018 एवं जिलाधिकारी इटावा के पत्र दिनांक 08.03.2018 के सन्दर्भ में श्री राज्यपाल सामान्य भविष्य निधि (उत्तर प्रदेश) नियमावली-1985 के नियम-16(1)(ग) (क)सपठित नियम-17 (1)(क) के अधीन पैतृक आवास ग्राम कुम्हारी, सकलडीहा जनपद चंदौली में भवन निर्माण हेतु उनके सामान्य भविष्य निधि खाता संख्या-जी.ए.यू./76063 से रू0-10,00,000/- (रूपये दस लाख मात्र) के अन्तिम निष्कासन की स्वीकृति निम्नलिखित शर्ताधीन प्रदान करते हैं :-

- (1) उक्त स्वीकृति उनके सामान्य भविष्य निधि खाते में जमा धनराशि के 3/4 भाग से अधिक नहीं होगी।
- (2) यदि उक्त अन्तिम निष्कासन से प्राप्त धनराशि का उपयोग कथित प्रयोजन हेतु न किया जा सके अथवा उसका कोई भाग शेष बच जाये तो वह धनराशि खाते में तुरन्त वापस जमा करा दी जाय।
- (3) उक्त अन्तिम निष्कासन उन्हें विशेष दशा में स्वीकृत किया जा रहा है। निष्कासन से प्राप्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र (साक्ष्य सहित) शासन को तीन माह के भीतर अवश्य उपलब्ध कराया जाय।

अनिता श्रीवास्तव
विशेष सचिव।

संख्या-857(1)/दो-9-2018, तददिनांक,

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- पंजीकृत- 1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम, निधि-24, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
पंजीकृत 2- मुख्य कोषाधिकारी, इटावा।
पंजीकृत 3- जिलाधिकारी, इटावा।
4- श्री जितेन्द्र कुमार श्रीवास्तव, पी0सी0एस0, डिप्टी कलेक्टर, चकरनगर, जनपद इटावा।
5- नियुक्ति अनुभाग-7/गार्ड बुक की प्रति/कम्प्यूटर प्रकोष्ठ।
6- कम्प्यूटर प्रोग्रामर, नियुक्ति विभाग को नियुक्ति विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

आज्ञा से,
विश्वनाथ दुबे
(विश्वनाथ दुबे)
अनु सचिव।